<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2023-हिं.अ.

दिनांक: 30.08.2023

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23.08.2023 को हुई जुलाई-सितम्बर, 2023 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23.08.2023 को अपराह्न 12.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई जुलाई-सितम्बर, 2023 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेमसिंह
30.8.2023

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

<u>वितरण:</u>

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि:</u>

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23.08.2023 को जुलाई-सितम्बर, 2023 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जुलाई-सितम्बर, 2023 अवधि की एक बैठक दिनांक 23.08.2023 को अपराह्न 12.00 बजे, प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), एम्स एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. मीनू बाजपेई, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक), एम्स, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती मनीषा सक्सेना, अपर निदेशक (प्रशासन), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री योगेश गोविल, सहायक निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री देवनाथ साह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री विजय पाल, वित्त सलाहकार (का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि:- श्री रूपनारायण देवगम, सहायक अभियंता (सिविल) एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.) एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री कमल भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

10.	श्री राजेन्द्र सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ (आउटसोर्स) एवं ए.सी.आर. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
11.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री राम सूरत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	प्रशासनिक अधिकारी, संपदा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री शिव शंकर सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री वासुदेव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
14.	श्रीमती सरोज लाल, प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ एवं समन्वय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री प्रेमपाल, लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री उपेन्द्र कुमार, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	श्री सुरेन्द्र कूलवाल, लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	श्री सतीश कुमार, लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री रोशन लाल भाटी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय के प्रतिनिधि:- श्री उमेश कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड- II, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री अमित क्वात्रा, संकायाध्यक्ष (अनुसंधान) के वैयक्तिक सहायक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

22.	प्रभारी-आचार्य, जनसंपर्क प्रभाग के प्रतिनिधि:- श्री सुशील कुमार, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
23.	प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) की प्रतिनिधि:- सुश्री अंकिता सैनी, प्रोग्रामर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री जितेन्द्र कुमार बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	श्री राजेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, (सामान्य) एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	श्री जोगिन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, (अस्पताल) एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री महेन्द्र पाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
28.	श्री भूप सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
29.	श्रीमती सविता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
30.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
31.	श्री अंकित कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
32.	प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर के प्रतिनिधि:- श्री श्याम सुंदर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
33.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

माननीय निदेशक महोदय अति आवश्यक कार्यक्रम के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 2 **<u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि फरवरी, 2023 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण/आशुलिपि के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 06 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा अगस्त, 2023 से आरंभ होने वाले हिंदी टंकण के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र हेतु संस्थान के 05 कर्मचारीगण का नामांकन किया गया है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के आगामी ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्रों में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 3 **<u>संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती के लिए बेसिल को एक ई-मेल भेजा जाए जिसकी एक प्रति हिंदी अनुभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

इस विषय में सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि संस्थान के परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त 03 स्थायी पदों पर नियमित आधार पर भर्ती हेतु दिनांक 27.08.2023 को ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

उपर्युक्त के विषय में समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) को आदेश दिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती हिंदी अनुभाग में की जाए तथा परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त 03 स्थायी पदों पर नियमित आधार पर भर्ती हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र निष्पादित की जाए।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ(आउटसोर्स)/परीक्षा अनुभाग

मद सं. 4 <u>संस्थान में राजभाषा पदों के पदनाम में संशोधन संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी जानकारी दी कि पिछले दिनों अनेक कैडर के पदनामों में परिवर्तन किया गया है लेकिन हिंदी अनुभाग से संबंधित यह कार्रवाई अभी तक लंबित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती) महोदय द्वारा समिति को सूचित किया गया कि इस प्रकार के यह मामले शासी निकाय के बजाए मंत्रालय से अनुमोदित होकर आए हैं। इसके बाद ही संबंधित पदनामों में परिवर्तन किया गया है।

उक्त विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य कैडर के मामलों की भांति हिंदी अनुभाग के पदों में परिवर्तन संबंधी मामले को भी मंत्रालय से अनुमोदित करवाकर शीघ्र आदेश जारी किए जाएं। समिति के उक्त निर्णय को माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 5 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए लेकिन पिछले कुछ समय से संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र/ज्ञापन/आदेश पत्र आदि जो भी कागजात कंप्यूटर सुविधा द्वारा अपलोड किए जा रहे है, वे अधिकांशत: अंग्रेजी में ही किए जा रहे हैं।

समिति द्वारा पूछे जाने पर कंप्यूटर सुविधा की प्रतिनिधि सुश्री अंकिता सैनी, प्रोग्रामर, द्वारा सूचित किया गया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा एम्स की वेबसाइट पर केवल द्विभाषी रूप में ही कागजात को अपलोड किया जाता है लेकिन कभी-कभी संबद्ध विभाग/अनुभाग/केंद्र द्वारा अति-तत्काल प्रकृति के कागजात, जोकि केवल अंग्रेजी में ही होते हैं, उन्हें उसी दिन संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का दबाव कंप्यूटर सुविधा पर होता है।

सुश्री अंकिता सैनी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि कंप्यूटर सुविधा में जब भी कोई तत्काल प्रकृति का कागजात केवल अंग्रेजी में ही एम्स की वेबसाइट पर अपलोड होने के लिए आता है तो कंप्यूटर सुविधा द्वारा उसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ हिंदी रूपांतर हेतु हिंदी अनुभाग को भी तत्काल ई-मेल द्वारा भेज दिया जाता है और अनुरोध किया जाता है कि हिंदी अनुभाग द्वारा उसका हिंदी रूपांतर एक दिन के भीतर-भीतर कंप्यूटर सुविधा को उपलब्ध करवा दिया जाए ताकि उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा एम्स की वेबसाइट पर केवल द्विभाषी रूप में ही प्रत्येक कागजात को अपलोड किया जाए और हिंदी अनुभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों की सूचना हेतु एक परिपत्र जारी किया जाए। माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - कम्प्यूटर सुविधा/हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 <u>बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी।</u>

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों की कुल खरीद का 50% बजट हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर व्यय करना अपेक्षित है लेकिन बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित राशि भी हिंदी पुस्तकों की खरीद पर अभी तक व्यय नहीं की गई है। समिति द्वारा पूछे जाने पर पुस्तकालय के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों की खरीद शुरू हो गई है और 70% खरीद कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाए और खरीदी गई पुस्तकों की एक सूची संस्थान के सभी स्टाफ-सदस्यगण की सूचना हेतु संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए। माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय

मद सं. 7 <u>संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी।</u>

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में हिंदी के नए पदों के सृजन हेतु एक प्रस्ताव भर्ती प्रकोष्ठ को भेज दिया गया है जिस पर आवश्यक कार्रवाई भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा की जानी अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि उक्त प्रस्ताव संस्थान की स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसे अब गवर्निंग बॉडी के सम्मुख अन्य कैडर के पदों के साथ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें अभी समय लग सकता है क्योंकि इससे पहले अनेक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर पहले ही मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। इन पदों पर निर्णय के बाद ही अन्य कैडर के पदों के साथ हिंदी पदों के सृजन का मामला विचार में लिया जाएगा।

मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री योगेश गोविल, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने इस विषय में समिति के सम्मुख अपना विचार रखते हुए स्पष्ट किया कि हिंदी पदों के सृजन से संबंधित

आश्वासन संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिया गया है। अत: हिंदी के पदों के सृजन में देरी उचित नहीं है। माननीय वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि चूंकि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को हिंदी के पदों के सृजन संबंधी आश्वासन दिया गया है। अत: इस विषय में अति तत्काल कार्रवाई करना उचित होगा।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले को अन्य कैडर के मामलों से पृथक मानते हुए पदों के सृजन की कार्रवाई अलग से की जाए ताकि माननीय संसदीय समिति को दिया गया आश्वासन पूर्ण हो सके। संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने इसे अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए निदेश दिया कि हिंदी पदों के सृजन संबंधी मामले को अपर निदेशक (प्रशासन) महोदया के सम्मुख अलग से कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाए।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 8 संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर समय पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर कार्य नवम्बर तक पूरा करा लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा दिनांक 02.08.2023 एवं 10.08.2023 के पत्रों द्वारा माननीय कुल-सचिव महोदय से भी अनुरोध किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के जो-जो अंग्रेजी अध्याय फाइनल होते जाएं उन्हें हिंदी अनुभाग को हिंदी रूपांतर हेतु उपलब्ध कराया जाए ताकि समय से उनका हिंदी रूपांतर निष्पादित किया जा सके।

उपर्युक्त विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रूपांतर हेतु फाइनल अंग्रेजी अध्याय शीघ्र हिंदी अनुभाग को उपलब्ध कराए जाएं ताकि संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर कार्य समय से पूरा किया जा सके। माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - कुल-सचिव/हिंदी अनुभाग

मद सं. 9 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार 67.33% ही है।

सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दिनांक 03 मई, 2023 को संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता 34 अनुभागों/केंद्रों के अधिकारियों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत समीक्षा के उपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों सहित स्थापना अनुभाग (नि.का.), संकाय प्रकोष्ठ तथा भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों को हिंदी अनुभाग द्वारा एक परिपत्र भी जारी किया जाए। माननीय माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

माननीय संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।